


**कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून**

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 104 /2016-2017 दिनांक 29 अप्रैल, 2016

**“कार्यालय ज्ञाप”**

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 233 /XXIV-नवसृजित/16-17(01)/2015 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या 257 XXIV-नवसृजित /16-07(04)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के क्रम में उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के निम्नांकित सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे- 4600) को उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता-अंग्रेजी (महिला शाखा) के पद पर मौलिक पदोन्नति के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से तैनात/पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	वर्तमान पद एवं विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	04	05	06
1	श्रीमती कामिनी कपूर	रा०क०इ०का० दुगड़डा पौड़ी	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० मासी अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
2	डॉ० शिवानी राणा चन्देल	एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड	स०अ० संगीत	रा०बा०इ०का० पुरडा बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती चित्रा	रा०क०इ०का० कोटद्वार पौड़ी	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० सधीपुर हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती रेनु मठपाल	रा०क०इ०का० वेतालघाट नैनीताल	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० रानीखेत अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती जहाँआरा	रा०क०उ०मा०वि० चनौदा अल्मोड़ा	स०अ० अंग्रेजी	रा०क०इ०का० सुल्तानपुर उ०सि०न०	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती तृप्ति कपूर	रा०क०इ०का० खुर्पाताल नैनीताल	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० स्यान्दे अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती सुशीला भाकुनी	रा०क०उ०मा०वि० हिम्मतपुर चौमवाल नैनीताल	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० धौलाखेडा नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती सुशीला पाटनी	रा०क०इ०का० पिथौरागढ़	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० कनालीछीना पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती मनमोत शर्मा	रा०क०उ०मा०वि० धरमपुर जसपुर उ०सि०न०	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० काकड़ चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती पिकी आर्या	रा०क०इ०का० रानीखेत अल्मोड़ा	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० खेतीखान चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
11	श्रीमती मालती मिश्रा	रा०क०इ०का० काशीपुर उ०सि०न०	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० महुवाखेडा गंज उ०सि०नगर	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती पुष्पा रावत	रा०क०इ०का० गोपेश्वर चमोली	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० पोखरी चमोली	रिक्त पद के प्रति
13	श्रीमती अर्पणा मंगगाई	रा०क०इ०का० पैडुल पौड़ी	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० श्रीनगर पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
14	श्रीमती विमला डबराल	रा०क०इ०का० चम्बा टिहरी	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० चमदेवल चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
15	श्रीमती नीलम सैनी	रा०क०उ०मा०वि० उम्याड़ी ककड़ा अल्मोड़ा	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० द्वाराहाट अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
16	श्रीमती अनीता पुरोहित	रा०क०उ०मा०वि० हाथीबडकला देहरादून	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० जयन्ती अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
17	श्रीमती सुधा पैन्थूली	एकलव्य आवासीय विद्यालय कालसी, देहरादून	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० थल, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति



18	श्रीमती विभा श्रीवास्तव	रा0क0इ0का0 सघीपुर हरिद्वार	स0अ0 अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 दिन्यालीसौड उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
19	श्रीमती सुनीता राय	रा.उ.मा.वि. सुनारगाँव देहरादून	स0अ0 अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 गंगोलीहाट पिथौ	रिक्त पद के प्रति
20	अनीता चौहान	रा0क0इ0का0 भरसौली अल्मोड़ा	स0अ0 अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 देवायल सल्ट अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
21	श्रीमती इन्दू उनियाल	रा0क0उ0मा0वि0 बसिन्याना पौड़ी	स0अ0 अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 दन्या अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
22	श्रीमती शकुन्तला रावत	रा0क0इ0का0 गैरसैण चमोली	स0अ0 अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 बीरौखाल पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
23	श्रीमती शोभा कटैत	रा0क0इ0का0 बौराड़ी टिहरी	स0अ0 गणित	रा0बा0इ0का0 लम्बगाँव टिहरी	रिक्त पद के प्रति
24	श्रीमती शिप्रा विष्ट	रा0क0इ0का0 बनभूलपुरा हल्द्वानी नैनीताल	स0अ0 अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 बाडेछीना अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

2. पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर पदोन्नत शिक्षकों को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयवाधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के नियम-9(2) के तहत अगले तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त उक्त शिक्षकों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

4. उक्त पदोन्नतियां मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0 1486/एस0एस0/2013 जीवन सिंह धामी व 17 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0 1487/एस0एस0/2013 लक्ष्मण सिंह खाती व 11 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेंगी।

(श्री0एस0 नेगी)  
प्रभाषी अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


पृ0 सं0 सेवा-2/अराज0/ २२५५-५७/2016-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की विषयवार संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कार्यभार से मुक्त होने एवं पदोन्नति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का विवरण विभागीय ई-पोर्टल पर तत्काल ही अंकित करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में कदापि लापरवाही न बरती जाय।



- (10) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों से निर्णोकित अभिलेखों की पुष्टि होने पर ही पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें-
- (क) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों।
- (ख) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत हों तथा पाँच वर्ष की नियमित तथा सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (ग) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो प्रस्तावित है और न ही गतिमान है।
- (घ) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका, जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में पदोन्नत हुए हैं, वह मूल रूप में उसी संवर्ग में नियुक्त भी हुए हैं। कोई शिक्षक/शिक्षिका जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में नियुक्त हुए हैं तथा उनकी पदोन्नति भिन्न संवर्ग में हुई है, उन्हें किसी भी दशा में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराएँ।
- (च) इस पदोन्नति आदेश में संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती विद्यालय में स्थानान्तरण या अन्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्तम्भ-3 में अंकित विद्यालय से या संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की सेवा पुस्तिका से उनके संबंध में पुष्टि करने के उपरान्त संबंधित उन्हें कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराएँ।
- (छ) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों में कोई भिन्नता परिलक्षित होती हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक को कार्यभार से मुक्त न करें तथा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से निदेशालय को पंजीकृत पत्र से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- (ज) शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ई-पोर्टल पर संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की कार्यभार ग्रहण करने की अंकना तत्काल कराना सुनिश्चित करें।  
कृपया उक्त बिन्दुओं पर भली-भाँति जाँच करने के पश्चात् ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराएँ अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्थाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (11) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्तर-10 में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने पर ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त किसी प्रकार की समयवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
- (12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
 (यशवंत गोस्वामी)  
 उप निदेशक,  
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।